(84)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्याः–003/2025 दायर दिनांकः–24.03.2025

जीसीएमएस नं.2025/108

1. कप्तानसिंह पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी भिक्की का पुरा चुराली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान
2. कल्ली पुत्र रघुवीर
3. गोविन्द पुत्र रघुवीर
4. दिनेश पुत्र रघुवीर
5. रमेश पुत्र रघुवीर
6. समयसिंह पुत्र रघुवीर
7. रजनिया पुत्री रघुवीर
8. वीरो पुत्री रघुवीर
9. रामदुलारी पत्नि मोहनसिंह

(क्रमांक 2 से 9) जाति गुर्जर निवासी हिण्डौन जिला करौली राज0

10. धर्मेन्द्र पुत्र हरकेश जाति गुर्जर निवासी खज्जू का पुरा, बनकी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
11. प्रकाशसिंह मवाई पत्नि निहालसिंह जाति गुर्जर निवासी कसाने का नंगला तहसील सूरौठ जिला करौली
12. मनोजसिंह पुत्र भगवत जाति गुर्जर निवासी बडी बाखर हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।

––प्रार्थीगण–13

बनाम

तहसीलदार, तहसील हिण्डौन, जिला–करौली (राज0)

––अप्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:44:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बावत् पत्थर गढी व सीमाज्ञान

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –1.श्री पीएल गोयल प्रार्थी

2.पेरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 128 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 768 रकवा 64 ऐयर खसरा नम्बर 780/1 रकवा 23 ऐयर, खसरा नम्बर 781 रकया 83 ऐयर कुल किता ०३ कुल रकवा 1.70 है० स्थित ग्राम हिण्डौन, तहसील हिण्डौन साथलान के कब्जेकास्त व आतेदारी की संयुक्त आराजी है। जिस पर वे काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा मोहनसिंह के वारिसान नाबालिग होने के कारण उन्हें प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त आराजीयात से गैरसायल का कोई वास्ता या सम्बंध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान आराजी मुतजिल्ला मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 768, रकवा 64 ऐयर, खसरा नम्बर 780/1 रकवा 23 ऐयर, खसरा नम्बर 781 रकया 83 ऐयर कुल किता 03 कुल रकवा 1.70 है० स्थित ग्राम हिण्डौन में मौके पर फसल काश्त करते समय आवारा जानवर सायलान की फसल को बर्बाद कर देते हैं तथा आस–पडौस में भी डौलमेड को लेकर तनाव बना रहता है, इसलिए सायलान के खेतों की सीमाएं निश्चित रूप से निर्धारित न होने के कारण सायलान अपनी भूमि पर तारबंदी भी नहीं कर पा रहे हैं. जिसके कारण उक्त भूमि में बोई हुई अपनी फसल की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं और उन्हें बोई हुई फसल के नुकसान व डौलमेंड को लेकर आपसी कहासुनी का अनावश्यक रूप से सामना करना पड़ता है।

सायलान शांतिप्रिय व मेहनत मजदूरी करने वालक तथा कानूनी कायदे को मानने वाले व्यक्ति है तथा अपनी भूमि की सीमाएं निश्चित नहीं होने से भूमि में तारबंदी व पत्थरगढ़ी नहीं कर पाने के कारण उन्हें काफी क्षति व परेशानी हो रही है। इस सम्बंध में सायलान के द्वारा तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने के लिए दिनांक 19.03.2025 को निवेदन किया तो उन्होंने इस सम्बंध में श्रीमान न्यायालय में चाराजोही करने के लिए कहा। इसलिये सायलान की भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र का म[illegible] पर [illegible]माज्ञान कराकर पत्थरगढी कराया जाना कानूनन आवश्य[illegible] मौके पर भूमि की स्थिति स्पष्ट होकर सायलान उसमें तारबंदी कर आवा[illegible] जानवरों के घुसने एवं फसल को नष्ट होने से रोक सके और भूमि का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग उपभोग कर सकें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:44:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की संयुक्त कब्जेकाश्त व खातेदारी व उपयोग उपभोग की भूमि आराजी खसरा नम्बर 768, रकवा 64 ऐयर, खसरा नम्बर 780/1 रकवा 23 ऐयर, खसरा नम्बर 781 रकवा 83 ऐयर कुल किता 03 कुल रकवा 1.70 है० स्थित ग्राम हिण्डौन का सीमाज्ञान कराया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के गैरसायल को आदेश प्रदान करें और इस हेतु गैरसायल को तहरीर जारी फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन द्वारा पत्थरगढी करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं० 2071–74 खाता संख्या 1762, वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि प्रार्थी की संयुक्त कब्जेकाश्त व खातेदारी व उपयोग उपभोग की भूमि आराजी खसरा नम्बर 768, रकवा 64 ऐयर, खसरा नम्बर 780/1 रकवा 23 ऐयर, खसरा नम्बर 781 रकवा 83 ऐयर कुल किता 03 कुल रकवा 1.70 है० स्थित ग्राम हिण्डौन का सीमाज्ञान कराया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के गैरसायल को आदेश प्रदान करें एवं पेरोकार सरकार द्वारा अपनी दौराने बहस में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर सहमति दी गयी।

उभयपक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी में जमाबन्दी सं० 2071–74 खाता संख्या 1762 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में तहसीलदार तहसील हिण्डौन/पेरोकार सरकार द्वारा विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने पर सहमति [illegible] जा[illegible]र विवादित आराजीयात की पत्थरगढी कराने के आदेश [illegible] होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurja
Date: 2025.07.15 09:44:29 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 एल आर एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

17

768, रकवा 64 ऐयर, खसरा नम्बर 780/1 रकवा 23 ऐयर, खसरा नम्बर 781 रकवा 83 ऐयर कुल किता 03 कुल रकवा 1.70 है० स्थित ग्राम हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निशिचित करते हुए खातेदारान को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें एवं प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन 15 दिवस में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 15/5/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 15/5/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:44:29 IST
Reason: SelfAttested